हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1973

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।
2. कतिपय अधिनियमितियों का निरसन।
अनुसूची।

हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1973

(1973 का अधिनियम संख्यांक 11)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 15 सितम्बर, 1987 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12 दिसम्बर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2412 पर हिन्दी में प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश में लागू कतिपय अधिनियमितियों के निरसन के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश निरसन अधिनियम, 1973 है।

(2) यह अप्रैल, 1973 के प्रथम दिवस से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.**–हिमाचल प्रदेश में लागू इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे स्तम्भ में वर्णित विस्तार तक, एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

---

1. चूँकि अधिनियम राजभाषा में 15 सितम्बर, 1987 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 12 दिसम्बर, 1987 को पृष्ठ संख्या 2412 पर प्रकाशित किया गया।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

वर्ष	सं0	संक्षिप्त नाम	निरसन का विस्तार
1	2	3	4
1972	3	दि इण्डियन स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1972 ।	सम्पूर्ण
1972	4	दि हिमाचल प्रदेश पैसेन्जर्स एण्ड गुड्स टैक्सेशन (अमैन्डमैंट) अधिनियम, 1972।	धारा 3
1972	5	दि हिमाचल प्रदेश जनरल सेल्स टैक्स (अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1972।	सम्पूर्ण
1972	6	दि हिमाचल प्रदेश एन्टरटेनमैन्ट्स ड्यूटी (अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1972।	सम्पूर्ण
1972	11	दि हिमाचल प्रदेश मोटर स्पिरिट (टैक्सेशन आफ सेल्स) (अमैन्डमैंट) ऐक्ट, 1972।	सम्पूर्ण